



Environment Forest and Wild Life Department

(Govt. of Haryana)
New Haryana Civil Secretariat Building, Sector 17,
Chandigarh-160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 745-व-3-2023 / 1589

चण्डीगढ़ दिनांक 09-03-2023

विषय:-

Diversion of 0.8395 ha. in of Forest land for construction of 4 lane Road Airport to main bye pass KM 260.35 to 261.50 (CMA 24520 dt 20.11.2018) of provisional Division No.1 PWD B&R under Forest Division & Disst. Sirsa, (HR). (Online Proposal No.FP/HR/Road/155473/2022).

उपरोक्त विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा पंचकुला की सिफारिश के दृष्टिगत **PWD Division Number One, Sirsa** के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 0.08395 है० वन भूमि प्रभावित होगी, इसके अतिरिक्त सम्बन्धित प्रस्ताव में रेवाडी मण्डल में 49 वृक्ष (वाल्युम 48.79 एम3) बाधक है तथा वह सब के सब कटवाये जायेंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबंधित वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। इस प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से कैम्पा के लेखा में निम्न प्रकार से जमा करवाई जायेगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	1265529
2.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	379659
3.	सुपरवाईजरी चार्जिज	126553
4.	Barbed wire Fencing Charge	1343200
5.	नैट प्रेजेंट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैण्ड	804056
6.	Felling Charges	58458
	Total	3977545

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Chormor Minor, RD 0-25 L/R side पर 1679 पौधे लगवाए जायेंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जारी हिदायत 1-52 /misc/ 2019/ ROC/1496 dated 09.09.2022 के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है। यह प्रस्ताव संतुष्टि उपरान्त सरकार को ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

Full Title of the Project : Diversion of 0.8395 ha of forest land for construction of 4 Lane Road from Airport to main Bypass Km. 260.35 to 261.50 (CMA 24520 dt. 20.11.2018) of Provisional Division No-1 PWD B&R, under Forest Division & District Sirsa, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/ROAD/155473/2022

PART-V

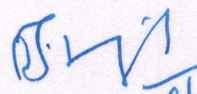
(to be filled in by the Secretary incharge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Govt. not below the rank of an Under Secretary)

18.	Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part-III or Part-IV above should be specifically commented upon)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date : 09/03/2023

Place : Chandigarh

Signature


09/03/23

Name: **Dr. T.P Singh,**
Secretary to Govt. of Haryana,
Forest & Wildlife Department

Office Seal: **Secretary to Govt. of Haryana,**
Forest Department